निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत शामली की प्रचलित उपविधि के अन्तर्गत पशु चैक पोस्ट हरिनगर बिडौली एवं यमुना ब्रिज कैराना का पृथक–पृथक एवं संयुक्त ठेका/लाइसेन्स की निविदा गोहरनी स्थित कार्यालय जिला पंचायत शामली में दिनांक 03–02–2021 को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। जो निविदाताओं की उपस्थिति में तद् दिनांक अपरान्ह 2:30 बजे खोली जायेगी।

क्र0 सं0	पशु चैक पोस्ट का स्थल का नाम	ठेके की अवधि		जमानत धनराशि
		दिनांक से	दिनांक तक	
1	पशु चैक पोस्ट हरिनगर बिडौली	10–02–2021 से	31–03–2022	250000
2	पशु चैक पोस्ट यमुना ब्रिज कैराना	19–04–2021 से	31–03–2022	250000
3	पशु चैक पोस्ट हरिनगर बिडौली व पशु चैक पोस्ट यमुना ब्रिज कैराना की संयुक्त	उपरोक्त तिथियों से	31–03–2022	500000

इच्छुक निविदाताओं को निविदा के साथ जिलाधिकारी द्वारा निर्गत वैद्य चरित्र प्रमाण पत्र एवं जमानत के रूप में पृथक–पृथक निविदा हेतु 250000/– रू0 अथवा संयुक्त के लिए 500000/– रू0 का बैंक ड्राफ्ट अपर मुख्य अधिकारी के पदनाम से संलग्न करना होगा अथवा जमानत की धनराशि इण्डियन ओवरसीज बैंक खाता संख्या 060801000020461 (IFSC कोड IOBA000608) में दिनांक 02–02–2021 तक RTGS/NEFT के माध्यम से भी जमा की जा सकती है। RTGS/NEFT की दशा में निविदा हेतु जमा धनराशि की रसीद/यू0टी0आर0 नम्बर निविदा के साथ जमा करना होगा। निविदा स्वीकृत होने पर समस्त धन RTGS/NEFT के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। अन्य सम्बन्धित शर्ते किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला पंचायत में अथवा **www.shamli.nic.in** पर देखी जा सकती है।

(मुकेश जैन)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, शामली

कार्यालय जिला पंचायत, शामली

पत्रांक– 593 /जि0पं0शा0/2020–21 दिनांक– 21·01·2021

प्रतिलिपि:–

1. आयुक्त महोदय, सहारनपुर मण्डल सहारनपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी/प्रशासक महोदया, शामली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी शामली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, शामली को इस अनुरोध के साथ कि यह विज्ञप्ति एवं निविदा शरायतों को शासकीय वेबसाईट www.shamli.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. जिला सूचना अधिकारी, शामली को सूचनार्थ प्रेषित।
6. निविदा समिति के सदस्य कार्य अधिकारी/अभियंता/वित्तीय परामर्शदाता को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संपादक दैनिक समाचार पत्र 'दैनिक जागरण' एवं 'अमर उजाला' शामली को इस आशय से कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को अपने अगले स्थानीय अंक में कम से कम स्थान में प्रकाशित कर प्रकाशन की 4 प्रतियों के साथ बिल कार्यालय में भेजने का कष्ट करें।
8. सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, शामली

जिला पंचायत शामली।

पशु चैक पोस्ट यमुना ब्रिज कैराना एवं हरिनगर बिडौली के लाईसेन्स/ठेके हेतु निविदा शर्तें :–

1. पशु चैक पोस्ट यमुना ब्रिज कैराना एवं हरिनगर बिडौली के लाईसेन्स/ठेके की निविदा चार्ज लेने की तिथि से 31.03.2022 तक की अवधि के लिए किया जायेगा।
2. निविदा में वही व्यक्ति/फर्म/संस्था भाग ले सकता है, जो जिला पंचायत शामली का बकायेदार न हो।
3. किसी व्यक्ति/फर्म को निविदा हेतु जमानत के रूप में पृथक–पृथक निविदा हेतु अंकन 250000/–रू0 अथवा संयुक्त निविदा हेतु अंकन 500000/– रू0 का बैंक ड्राफ्ट जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत शामली के पदनाम से जमा करना होगा अथवा निविदा हेतु जमानत धनराशि जिला निधि खाता संख्या 060801000020461 आई0एफ0एस0सी0 कोड IOBA0000608 इण्डियन ओवरसीज बैंक शामली में आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 द्वारा जमा करनी होगी।
4. किसी व्यक्ति/फर्म द्वारा निविदा हेतु जिलाधिकारी निर्गत वैद्य का चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. किसी व्यक्ति/फर्म द्वारा पशु चैक पोस्ट यमुना ब्रिज कैराना एवं हरिनगर बिडौली के संबंध में यदि कोई वाद जिला पंचायत के विरूद्ध किसी न्यायालय में योजित किया गया हो या विचाराधीन हो तो उसको वापस लेने के बाद ही वह व्यक्ति/फर्म निविदा में भाग ले सकेगा।
6. सर्वोच्च निविदा की सम्पूर्ण धनराशि स्वीकृति के उपरान्त एकमुस्त जमा करनी होगी। यदि व धनराशि जमा करने में असमर्थ रहता है तो उसकी जमा जमानत धनराशि जब्त की कार्यवाही की जायेगी।
7. निविदा समिति द्वारा ठेका/लाईसेन्स की धनराशि जिला पंचायत प्रशासक की स्वीकृति की प्रत्याशा में जमा करायी जायेगी।
8. जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना मात्र उच्चतम निविदा के आधार पर ही निविदा स्वीकृत नहीं मानी जायेगी। यदि जिला पंचायत किसी कारणवश पुनः निविदा का निर्णय लेती है। उच्चतम निविदादाता को किसी भी प्रकार का विधिक लाभ/अधिकार प्राप्त नही होगा।
9. पशु चैक पोस्ट यमुना ब्रिज कैराना एवं हरिनगर बिडौली के ठेकेदार द्वारा वसूली की कार्यवाही जिला पंचायत द्वारा जारी रसीद बही पर करना अनिवार्य होगा। जिला पंचायत नियमानुसार रसीद बही का मूल्य प्राप्त कर ठेकेदार को जारी करेगा।
10. कोई भी व्यक्ति/फर्म जिसके नाम लाईसेन्स/ठेका स्वीकार किया गया हो व अन्य किसी व्यक्ति/फर्म का उक्त ठेका स्थानान्तरित/सब्लेट नही करेगी। यदि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो जांचोपरान्त शिकायत सही पाये जाने पर ठेका तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
11. यदि उक्त ठेके के संबंध में किसी भी न्यायालय में वाद योजित/विचाराधीन हो तो ठेकेदार को अपने कार्यकाल तक जिला पंचायत के साथ मिलकर उचित पैरवी में पूर्ण सहयोग करना होगा।
12. किसी भी व्यक्ति/फर्म को ठेका/लाईसेन्स स्वीकार होने पर नियमानुसार जिला पंचायत की शर्तो के अनुरूप निर्धारित स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा। जिसका पूर्ण व्यय ठेकेदार को करना होगा।
13. ठेकेदार को उपविधियों का पालन अक्षरशः करना होगा। इसके अतिरिक्त शासन/आयुक्त द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो का भी पालन करना होगा।
14. ठेकेदार/लाईसेन्सी एवं जिला पंचायत के मध्य यदि कोई विवाद बनता है तो उसमें मा0 अध्यक्ष/प्रशासक जिला पंचायत का निर्णय अन्तिम तथा दोनो पक्षो को मान्य होगा।
15. ठेकेदार/लाईसेन्सी जिला पंचायत द्वारा निर्धारित दरो पर ही वसूली करेगा। यदि वह अधिक धनराशि वसूल करता है तो जाचोंपरान्त सही पाये जाने पर उसके द्वारा जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुए पुनः ठेका/लाईसेन्स नीलाम करने की कार्यवाही की जायेगी।
16. ठेकेदार/लाईसेन्सी को पशु प्रवेश शुल्क का कार्य करने में किसी असामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति का सहयोग अथवा सहायता नहीं लेगा और उपविधि के अनुसार पशुओं की जांच हेतु पशु चिकित्सक की व्यवस्था चैक पोस्ट पर करनी होगी।
17. ठेकेदार/लाईसेन्सी को पशु चैक पोस्ट पर 4×4 फीट के बोर्ड पर रेट लिस्ट एवं ठेकेदार का मो0नं0 अंकित करना होगा।
18. ठेकेदार/लाईसेन्सी को पशु चैक पोस्ट पर वसूली में लगाये गये कर्मिको को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी कराया जायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, शामली